



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-09102020-222327
CG-DL-W-09102020-222327

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 30] नई दिल्ली, सितम्बर 27—अक्टूबर 3, 2020, शनिवार / आश्विन 5—आश्विन 11, 1942
No. 30] NEW DELHI, SEPTEMBER 27—OCTOBER 3, 2020, SATURDAY/ASVINA 5—ASVINA 11, 1942

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय
(कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग)

नई दिल्ली, 8 सितम्बर, 2020

सा.का.नि. 132.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि, सहकारिता किसान कल्याण विभाग, विपणन और निरीक्षण निदेशालय, प्रयोगशाला खंड(समूह क और ख पदों), भर्ती नियम, 2018 को जहाँ तक उसका संबंध मुख्य रसायनज्ञ के पद से है उन बातों के विषय में अधिकांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है। कृषि और किसान

कल्याण मंत्रालय, कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग, के अधीन विपणन और निरीक्षण निदेशालय के प्रयोगशाला खंड में मुख्य रसायनज्ञ के पद का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात्-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग, विपणन और निरीक्षण निदेशालय, प्रयोगशाला खंड (मुख्य रसायनज्ञ), भर्ती नियम, 2020 है।

(2) ये राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—उक्त पद की संख्या उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर-उक्त नियमों से उपबंध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयुसीमा और अर्हता, आदि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

4. निर्रता.—वह व्यक्ति:

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या पत्नी जीवित है, विवाह किया है ;या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश शिथिल कर सकेगी।

6. ब्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मुख्य रसायनज्ञ	*5 2020 *कार्यभार की सीमा के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', राजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर 7 (44900-142400 रुपए)	चयन पद	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षणिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षणिक अर्हताएं और आयु सीमा लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई है	भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती होगी या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/विलय द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	पदोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है।

पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय पदोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
पदोन्नति वेतन मैट्रिक्स में स्तर 6 (35400-112400 रुपए) वरिष्ठ रसायनज्ञ 5 वर्षों की नियमित सेवा है एवं कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग यथा विहित किसी ख्यातिप्राप्त संस्थान या मान्यताप्राप्त संस्थान में उनकी श्रेणीकरण और चिन्हांकन के लिए अधिसूचित कृषि उपयोगी मानकों का विश्लेषण का दो से चार सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो। टिप्पणः जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक अथवा पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा। परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा से आधे से अधिक से या दो वर्षों से, इनमें से जो भी कम हो, से कम न हो, और उन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में पदोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) : केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या कानूनी संगठनों या स्वायत्त निकायों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त संस्थाओं के ऐसे अधिकारी: (क). (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण	समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. संयुक्त सचिव- सह -कृषि विपणन सलाहकार - अध्यक्ष 2. निदेशक अथवा उप-सचिव (विपणन) -सदस्य 3. अपर कृषि विपणन सलाहकार या संयुक्त कृषि विपणन - सलाहकार -सदस्य 4. निदेशक (प्रशासन) विपणन और निरीक्षण निदेशालय, फरीदाबाद -सदस्य 5. प्रयोगशाला निदेशक, केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला, नागपुर - सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

किए हुए है, या

(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 6 में (35400-112400 रूपए) नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में पाँच वर्षों की नियमित सेवा की हैं ; और

(ख). जिसके पास निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हताएँ और अनुभव है, अर्थात् -

अनिवार्य:

(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा समतुल्य से रसायन विज्ञान अथवा कृषि रसायन विज्ञान अथवा जैव रसायन विज्ञान अथवा सूक्ष्म जीव विज्ञान अथवा डेयरी रसायन विज्ञान अथवा खाद्य प्रौद्योगिकी अथवा तेल प्रौद्योगिकी अथवा विष विज्ञान अथवा जैव प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर सहित केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या कानूनी संगठनों अथवा पब्लिक सेक्टर उपक्रमों अथवा विश्वविद्यालय अथवा मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं अथवा स्वायत्त निकायों अथवा राष्ट्रीय परीक्षण प्रत्यायन बोर्ड और कैलीब्रेशन प्रयोगशालाओं-प्रत्यायित प्रयोगशाला से कृषि वस्तुओं और जैविक सामग्रियों के विश्लेषण कार्य में एक वर्ष के अनुभव अथवा

(ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा समतुल्य से तेल अथवा खाद्य प्रौद्योगिकी अथवा रसायनिक प्रौद्योगिकी में बेचलर सहित कृषि वस्तुओं और जैविक सामग्रियों से संबंधित विश्लेषणात्मक कार्य में पर्यवेक्षण क्षमता में 2 वर्ष के कार्य के अनुभव जिसमें से एक वर्ष की अवधि केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकारों अथवा संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन अथवा कानूनी संगठनों अथवा पब्लिक सेक्टर उपक्रमों अथवा विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं अथवा स्वायत्त निकायों अथवा राष्ट्रीय परीक्षण प्रत्यायन बोर्ड और कैलीब्रेशन प्रयोगशाला प्रत्यायित प्रयोगशाला से कृषि वस्तुओं अथवा जैविक सामग्रियों से संबंधित विश्लेषण कार्य में हो।

टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार करने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के

पात्र नहीं होंगे। टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।		
---	--	--

[फा. सं. 12018/2/2013- एम-1]

मीना के. केरकेटा, अवर सचिव (एम-1)

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE**(Department of Agriculture, Co-operation and Farmers Welfare)**

New Delhi, the 8th September, 2020

G.S.R. 132.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare, Directorate of Marketing and Inspection, Laboratory Wing (Group 'A' and 'B' Posts), Recruitment Rules, 2018, in so far as they relate to the post of Chief Chemist, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Chief Chemist in the Laboratory Wing, Directorate of Marketing and Inspection under the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Department of Agriculture, Co-operation and Farmers Welfare, namely:-

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare, Directorate of Marketing and Inspection, Laboratory Wing (Chief Chemist), Recruitment Rules, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in pay matrix.**—The number of said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit and qualification etc.**—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. **Disqualification.**—No person, -

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,
- shall be eligible for appointment to any of the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5.. **Power to relax.**—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall effect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Caste, the Scheduled Tribes, ex-Serviceman and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Level in pay matrix	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Chief Chemist	5* (2019) * subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'B', Gazetted, Non-Ministerial	Level 7 (Rs.44900-142400)	Selection post	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of Probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	By promotion failing which by deputation(including short-term contract)

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption is to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which the Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Promotion Senior Chemist in level 6 (Rs.35400-112400) in the pay matrix with five years regular service, who has successfully completed two to four weeks training in analysis of notified agricultural commodities for their grading and marking in a reputed Government recognised institute as prescribed by the Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare. Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- 1. Joint Secretary-cum- Agricultural Marketing Adviser - Chairperson 2. Director or Deputy Secretary (Marketing) - Member; 3. Additional Agricultural Marketing Adviser or Joint Agricultural Marketing Adviser -Member; 4. Director (Administration), Directorate of Marketing and Inspection, Faridabad - Member; 5. Director of Laboratories, Central Agmark Laboratory Nagpur - Member.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary .

Deputation(including short-term contract) : Officers of the Central Government or State Government or Union territory Administration or or statutory organisations or autonomous bodies. or public sector undertakings or University or recognised research institutions : (a). (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in level 6 (Rs.35400-112400) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and (b). possessing the following educational qualification and experience, namely :- Essential: (i) Master of Science in Chemistry or Agricultural Chemistry or Biochemistry or Microbiology or Dairy Chemistry or Food Technology or Oil Technology or Toxicology or Biotechnology from a recognised University or equivalent with one year experience in the analysis of agricultural commodities and organic materials from Central Government or State Governments or Union territory Administration or statutory organisations or public sector undertakings or University or recognised research institutions or autonomous bodies or National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories accredited Laboratory; or (ii) Bachelor of Technology in Oil or Food or Chemical Technology from a recognised University or equivalent with two years' work experience in a supervisory capacity in analytical work of agricultural commodities and organic materials out of which one year should be in the analysis of agricultural commodities or organic materials from Central Government or State Governments or Union territory Administration or statutory organisations or public sector undertakings or University or recognised research institutions or		
---	--	--

autonomous bodies or National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories accredited Laboratory. Note 1: The departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation and similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Note 2: Period of deputation (Including Short Term Contract) including period of deputation (including short term contract) in another <i>ex-cadre</i> post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. Note 3 : The maximum age limit for appointment by deputation (Including Short Term Contract) shall not be exceeding fifty six years as on the closing date of the receipt of application.		
---	--	--

[F. No. 12018/2/2013-M.I]

MEENA K. KERKETTA, Under Secy. (M-I)

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 22 सितम्बर, 2020

सा.का.नि. 133.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और केन्द्रीय कुष्ठ रोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चिंगलपेट (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 1980 को, जहां तक उनका सम्बन्ध सहायक पुस्तकाध्यक्ष के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिकांश करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, केन्द्रीय कुष्ठ रोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टू में पुस्तकालय लिपिक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, केन्द्रीय कुष्ठ रोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान चेंगलपट्टू, पुस्तकालय लिपिक (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2020 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद है या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पुस्तकालय लिपिक	01* (2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-2 (19900-63200 रु)	लागू नहीं होता	18 से 25 वर्ष के बीच। टिप्पण 1 :- केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए सामान्य अभ्यर्थियों की दशा में 40 वर्ष तक तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की दशा में 45 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। टिप्पण 2 :- आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा,

					सिक्किम, संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित कि गई है।)
--	--	--	--	--	---

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक: किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं उत्तीर्ण या समतुल्य। किसी मान्यताप्राप्त संस्था से पुस्तकालय विज्ञान पाठ्यक्रम में डिप्लोमा या प्रमाणपत्र। किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से कंप्यूटर अनुप्रयोग पाठ्यक्रम में डिप्लोमा या प्रमाणपत्र। वांछनीय :- किसी स्थायी चिकित्सा पुस्तकालय में उत्तरदायी क्षमता में एक वर्ष का अनुभव।	लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति :- वेतन मैट्रिक्स के स्तर-2 (19900-63200/-रु) में ऐसे केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं सहित उस श्रेणी में दो वर्ष की नियमित सेवा की है और जो स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएं रखते हैं।	समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे.— 1.अपर निदेशक -अध्यक्ष; 2.उपनिदेशक (ईपिड) - सदस्य; 3.सहायक निदेशक (सर्जिकल) -सदस्य; 4. प्रशासनिक अधिकारी - सदस्य।	लागू नहीं होता।

[फा.सं. ए-12018/34/2019-कुष्ठ]

बैद्यनाथ प्रसाद, अवर सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi, the 22nd September, 2020

G.S.R. 133.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Central Leprosy Training and Research Institute, Chingleput (Group C posts) Recruitment Rules, 1980, in so far as it relates to the post of Assistant Librarian, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Library Clerk in the Central Leprosy Teaching and Research Institute, Chengalpattu, namely:-

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Central Leprosy Teaching and Research Institute, Chengalpattu, Library Clerk (Group 'C' Post) Recruitment Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification, level in pay matrix.—The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in column (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person,-

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen or any other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in pay matrix	Whether selection or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Library Clerk	01* (2020) *subject to variation dependent on workload	General Central Service Group 'C' Non-Gazetted/ Non-Ministerial	Level-2 in the pay matrix (Rs.19900-63200)	Not applicable	Between 18-25 years. Note 1: Relaxable for the Government servants upto forty years in case of general candidates and upto forty-five years in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. Note 2: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the

					closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur Nagaland, Tripura, Sikkim, Union territory of Ladakh, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.
--	--	--	--	--	--

Educational and other qualification required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by deputation /absorption and percentage of the post to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Essential: Passed Senior Secondary or equivalent from a recognised Board Diploma or certificate course in Library Science from a recognised institution. Diploma or certificate course in Computer Application from a recognised University or institution. Desirable: One year experience in a responsible capacity in a Medical Library of standing.	Not applicable	Two years	By direct recruitment, failing which by deputation

In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made	If a Department Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Deputation:- Central Government employees holding analogous posts on regular basis in the level 2 in the pay matrix (Rs.19900-63200) with two years regular service in the Grade and possessing the qualifications prescribed for direct recruits under column (7).	Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :- 1. Additional Director -Chairman; 2. Deputy Director (Epid) -Member; 3. Assistant Director(Surgical) -Member; 4. Administrative officer -Member.	Not applicable

[F. No. A-12018/34/2019-Lep.]

BAIDYANATH PRASAD, Under Secy.

नई दिल्ली, 22 सितम्बर, 2020

सा.का.नि. 134 .—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और प्रादेशिक कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, आस्का, (पैरा चिकित्सीय कर्मकार) भर्ती नियम, 2001, उन बातों के सिवाय अधिकांश करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है प्रादेशिक कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, आस्का, ओडिशा, पैरा चिकित्सीय कर्मकार के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1.संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, प्रादेशिक कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, आस्का, ओडिशा, पैरा चिकित्सीय कर्मकार (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2020 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—उक्त पद की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतन मैट्रिक्स में स्तर या वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है,; या विवाह की संविदा की है या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6.व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद है या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पैरा चिकित्सीय कर्मकार	02 * (2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-3 (21700-69100 रु)	लागू नहीं होता	18 से 27 वर्ष के बीच। टिप्पण 1: केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए साधारण अभ्यर्थियों की दशा में चालीस वर्ष तथा अनुसूचित जातियों या

					अनुसूचित जनजातियों की दशा में पैंतालिस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। टिप्पण 2:- आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, केन्द्रशासित प्रदेश लद्दाख, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) टिप्पण 3: रोजगार कार्यालय के माध्यम से आने वाले अभ्यर्थियों की दशा में आयुसीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है।
--	--	--	--	--	--

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
1. किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन उत्तीर्ण। 2. किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से पैरा चिकित्सीय कर्मकार प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का प्रमाण पत्र रखता हो। टिप्पण: अहर्ताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सक्षम प्रधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।	लागू नहीं होता	दो वर्ष	100 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा। टिप्पण: पदधारी के प्रति-नियुक्ति या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी:- (क) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद

			धारण किए हुए हैं; और (ख) जिनके पास स्तंभ (7)के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है।
--	--	--	--

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे.— 1. निदेशक, प्रादेशिक कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, आस्का -अध्यक्ष 2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, प्रादेशिक कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, आस्का - सदस्य 3. ज्येष्ठ चिकित्सा अधिकारी, प्रादेशिक कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, आस्का -सदस्य 4. उस क्षेत्र में किसी अन्य केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार कार्यालय से एक राजपत्रित अधिकारी -सदस्य	लागू नहीं होता।

[फा. सं. ए-12018/31/2018-कुष्ठ]

बैद्यनाथ प्रसाद, अवर सचिव

New Delhi, the 22nd September, 2020

G.S.R. 134.—In exercise of the powers conferred by the proviso to 309 of the Constitution and in supersession of the Regional Leprosy Training and Research Institute, Aska, (Para Medical Worker) Recruitment Rules, 2001, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Para Medical Worker in the Regional Leprosy Training and Research Institute, Aska, Odisha, namely:-

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Regional Leprosy Training and Research Institute, Aska, Odisha, Para Medical Worker (Group 'C' Post) Recruitment Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in pay matrix.—The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in column (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person;

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.— Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions, required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen or any other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of Post	Classification	Level in pay matrix	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Para Medical Worker	2* (2020) *Subject to variation dependent on work load	General Central Service, Group-‘C’, Non-Gazetted, Non-Ministerial	Level-3 in the pay matrix (Rs.21700-69100)	Not applicable	Between 18 to 27 years. Note1: Relaxable for departmental candidates up to the age of forty years in case of general candidates and upto forty-five years in the Schedule Castes and the Schedule Tribes in accordance with the instructions or orders issued by Central Government. Note 2: The crucial date for determining the age-limit shall be closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Union territories of Ladakh, Lahaul and Spiti District and Pangti Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh and Union territory of Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep. Note 3: In the case of recruitment made through the employment exchange crucial date for determining the age-limit shall be the last date upto which the

					employment exchange is asked to submit the names.
--	--	--	--	--	---

Educational qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotion	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct or by promotion or by deputation and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
1. Passed Matriculation from a recognised Board. 2. Certificate of having passed Para Medical Worker Training Course from a recognised Institute. Note: Qualifications are relaxable at the discretion of the competent authority in case candidate is otherwise well qualified.	Not applicable	Two years	100% by direct recruitment. Note:- Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under any other circumstances for duration of one year or more may be filled on deputation basis from amongst officers of the Central Government: (a) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or department; or (b) possessing the qualification prescribed for direct recruits under Column (7).

In case of recruitment by promotion or Deputation /absorption grade from which promotion or deputation /absorption to be made	If a departmental promotion committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted In making recruitment
(11)	(12)	(13)
Not applicable	Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:- (1) Director of Regional Leprosy Training and Research Institute, Aska -Chairman; (2) Chief Medical officer of Regional Leprosy Training and Research Institute, Aska - Member; (3) Senior Medical officer of Regional Leprosy Training and Research Institute, Aska - Member; (4) A Gazetted officer from another Central or State Government office in the area - Member.	Not applicable

[F. No.A-12018/31/2018-Lep]

BAIDYANATH PRASAD, Under Secy.

नई दिल्ली, 22 सितम्बर, 2020

सा.का.नि. 135.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और केन्द्रीय कुछ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चिंगलेट (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 1980 को, जहां तक इसका सम्बन्ध सफाई निरीक्षक से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, केन्द्रीय कुछ शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टू में सफाई निरीक्षक पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, केन्द्रीय कुष्ठ शिक्षण और अनुसंधान संस्थान चेंगलपट्टु, सफाई निरीक्षक (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2020 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.—भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त/पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है की ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है की ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद है या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सफाई निरीक्षक	01* (2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (25500-81100 रु)	लागू नहीं होता	18 से 25 वर्ष के बीच। (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए सामान्य अभ्यर्थियों की दशा में 40 वर्ष तक तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की दशा में 45 वर्ष तक शिथिल की जा सकती

					है।) टिप्पण 1 :- आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, केन्द्रशासित प्रदेश लद्दाख, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) टिप्पण 2:- रोजगार कार्यालय के माध्यम से आने वाले अभ्यर्थियों की दशा में आयुसीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है।
--	--	--	--	--	---

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/
--	---	-------------------------------	---

	व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी		आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
1. मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से रसायन विज्ञान में बी.एस.सी। 2. मान्यता प्राप्त संस्थान से सफाई निरीक्षक पाठ्यक्रम में डिप्लोमा। 3. पाठ्यक्रम को सम्बन्धित राज्य के चिकित्सा शिक्षा निदेशालय द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए। 4. मान्यताप्राप्त चिकित्सालय में स्वच्छता निरीक्षक या पर्यवेक्षक के रूप में कम से कम एक वर्ष की अवधि तक कार्य करने का अनुभव हो। टिप्पण 1: अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सक्षम प्रधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) सक्षम प्रधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी कि यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने कि सम्भावना नहीं है।	लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा भरा जाएगा

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति: ऐसे व्यक्तियों में से जो वेतन मैट्रिक्स में स्तर-3 (21700-69100 रु) में, स्तम्भ (7) में उल्लिखित 1, 2 और 3 आवश्यक अर्हता के साथ किसी केन्द्रीय सरकारी अस्पताल में पांच वर्ष की नियमित सेवा किया हो। या ऐसे व्यक्तियों में से जो वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (25500-81100 रु) में, स्तम्भ (7) में उल्लिखित 1,2 और 3 आवश्यक अर्हता के साथ किसी केन्द्रीय सरकारी अस्पताल में दो वर्ष की नियमित सेवा किया हो, टिप्पण 1:- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से	समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे.— 1. अपर निदेशक —अध्यक्ष; 2. सहायक निदेशक (शल्यचिकित्सकीय) —सदस्य; 3. सहायक परिचर्या अधीक्षक —सदस्य; 4. प्रशासन अधिकारी —सदस्य।	लागू नहीं होता।

ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण या स्थानान्तरण द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।		
---	--	--

[फा.सं. ए-12018/09/2019-कुष्ठ]

बैद्यनाथ प्रसाद, अवर सचिव

New Delhi, the 22nd September, 2020

G.S.R. 135.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Central Leprosy Training and Research Institute, Chingleput (Group C posts) Recruitment Rules, 1980 in so far as it relates to the post of Sanitary Inspector, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Sanitary Inspector, Central Leprosy Teaching and Research Institute, Chengalpattu, namely:-

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Central Leprosy Teaching and Research Institute, Chengalpattu, Sanitary Inspector (Group 'C' Post) Recruitment Rules, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification, level in pay matrix.— The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualifications.—No person,-

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-Servicemen or any other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of Post	Number of Post	Classification	Level in pay matrix	Whether selection post or non-selection post	Age- limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Sanitary Inspector.	1* (2019) *subject to variation dependent on workload	General Central Service Group 'C', Non-gazetted, Non-Ministerial	Level-4 in the pay matrix (Rs.25500-81100).	Not applicable	Between 18 and 25 years. Relaxable for Government servants up to forty years in the case of general candidates and up to forty-five years in the case of belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. Note 1: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India except the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, the Union territory of Ladakh, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep. Note 2: In respect of posts, the appointment to which are made through the employment exchange the crucial date for determining the age-limit shall, in each case be the last date upto which the employment exchange asked to submit the names.

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment: whether by direct recruitment or by promotion or by deputation /absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Essential: 1. B.Sc. Chemistry from recognised University. 2. Diploma in Sanitary Inspector course from a recognised Institute. 3. The course should be recognised by the concerned State Directorate of Medical Education.	Not applicable	Two years	Direct recruitment failing which by deputation.

4.Experience of having worked in a recognised hospital as a Sanitary Inspector or Supervisor for the period of minimum one year Note 1: Qualification are relaxable at the discretion of the competent authority in case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The Qualifications regarding experience are relaxable at discretion of the competent authority in the case that the candidates belonging to the Scheduled Castes or the Schedule Tribe, if at any stage of selection the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill the vacancies reserved for them.			
--	--	--	--

In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption grades from which promotion or deputation/ absorption to be made	If a department promotion committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment								
(11)	(12)	(13)								
Deputation: From amongst persons holding analogous post in level – 3 in the pay matrix (Rs.21700-69100) with five years regular service in any central Government hospital with the essential qualification of 1, 2 and 3 mentioned in column (7). or From amongst persons holding analogous post in level – 4 in the pay matrix (Rs.25500-81100) with two years regular service in any central Government hospital with the essential qualification of 1, 2 and 3 mentioned in column (7). Note1: Period of deputation including period of deputation in another Ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. Note2: The maximum age-limit for appointment by transfer on deputation or transfer shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.	Group ‘C’ Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:- <table><tr><td>1. Additional Director</td><td>- Chairman;</td></tr><tr><td>2. Assistant Director(Surgical)</td><td>- Member;</td></tr><tr><td>3.Assistant Nursing Superintendant</td><td>- Member;</td></tr><tr><td>4. Administrative Officer</td><td>- Member.</td></tr></table>	1. Additional Director	- Chairman;	2. Assistant Director(Surgical)	- Member;	3.Assistant Nursing Superintendant	- Member;	4. Administrative Officer	- Member.	Not applicable.
1. Additional Director	- Chairman;									
2. Assistant Director(Surgical)	- Member;									
3.Assistant Nursing Superintendant	- Member;									
4. Administrative Officer	- Member.									

[F. No. A-12018/09/2019-Lep]

BAIDYANATH PRASAD, Under Secy.

नई दिल्ली, 24 सितम्बर, 2020

सा.का.नि. 136 .—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और केन्द्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चिंगलपेट (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 1980 को, जहां तक उनका सम्बन्ध फिटर के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, केन्द्रीय कुष्ठ रोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चिंगलपेट में फिटर के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान चिंगलपेट, फिटर (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2020 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.— उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.— उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.— वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है की ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.— जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है की ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.— इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद है अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
फिटर	01* (2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-2 (19900-63,200 रु.)	लागू नहीं होता	18 से 27 वर्ष के बीच। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिए 40 वर्ष तक

					शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण 1 :- आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित कि गई है।) टिप्पण 2:- रोजगार कार्यालय के माध्यम से आने वाले अभ्यर्थियों की दशा में आयुसीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है।
--	--	--	--	--	--

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(7)	(8)	(9)	(10)
1. किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10 वी कक्षा की परीक्षा पास की हो। 2. व्यवसायिक प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय कौन्सिल द्वारा संचालित या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से फिटर ट्रेड परीक्षा पास की हो। 3. फिटर के रूप में एक वर्ष का अनुभव।	लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति: (क) केन्द्रीय सरकार के अधीन वेतन स्तर-2 में सदृश या समतुल्य पद धारण किए हुए व्यक्तियों में से। (ख) स्तंभ (7) में उल्लिखित अर्हताएं रखते हो। प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण :- प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।	समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे.— 1.अपर निदेशक - अध्यक्ष; 2.उपनिदेशक (ईपीआईडी) - सदस्य; 3.सहायक निदेशक (प्रयोगशाला) - सदस्य; 4. प्रशासनिक अधिकारी - सदस्य।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

[फा.सं. ए-12018/43/2019-कुष्ठ]

बैद्यनाथ प्रसाद, अवर सचिव

New Delhi, the 24th September, 2020

G.S.R. 136 .—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Central Leprosy Training and Research Institute, Chingleput, (Group 'C' posts) Recruitment Rules, 1980, in so far as they relate to the post of Fitter, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Fitter in the Central Leprosy Training and Research Institute, Chengalpattu, namely:

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Central Leprosy Training and Research Institute, Chengalpattu, Fitter (Group 'C') Recruitment Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Gazette of India.

2. Number of post, classification, level in pay matrix.—The number of said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in column (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualifications.—No person,—

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or
 - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,
- shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, Ex-Servicemen or any other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of Post	Number of Posts	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection post or non-selection	Age-limit for direct recruitment
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Fitter	01*(2020) *subject to variation depending on workload.	General Central Service Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-2 in the pay matrix (Rs.19900-63200).	Not applicable	Between 18 and 27 years. (relaxable upto 40 years in the case of departmental candidates in accordance with the instruction or orders issued by the Central Government). Note1: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Union territory of Ladakh, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep). Note 2: In case of recruitment through employment exchange, the crucial date for determination of age in each case will be the last date upto which the Employment Exchange is asked to nominate candidates.

Educational qualifications required for direct recruits.	Whether age and Educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotion	Period of probation if any	Method of recruitment whether by direct or by promotion or by deputation and percentage of the post to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
1 Passed 10 th standard examination from a recognised board. 2. Passed fitter trade examination	Not applicable	Two years	By Direct recruitment failing which by deputation

conducted by National Council for Training in the Vocational Trades / Industrial Training Institute of Central Government or State Government. 3. One year Experience as Fitter.			
In case of recruitment by promotion or deputation /absorption grade from which promotion or deputation / absorption to be made.	If a department promotion committee exists, what is its composition?	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.	
(11)	(12)	(13)	
Deputation:- (a) From amongst persons holding analogous or equivalent post in pay level-2 under the Central Government. (b) Possessing qualification mentioned in the col.7 (Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by transfer on deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications).	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) Consisting of:- 1. Additional Director - Chairman 2. Deputy Director(Epid) - Member 3. Assistant Director(Lab) - Member 4. Administrative Officer - Member	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.	

[F. No. A-12018/43/2019-Lep.]

BAIDYANATH PRASAD, Under Secy.

नई दिल्ली, 24 सितम्बर, 2020

सा.का.नि. 137 .—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और केन्द्रीय कुष्ठरोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टू (समूह 'ग' पदों) भर्ती नियम, 1980, जहाँ तक आशुलिपिक के पद से संबंधित है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, केन्द्रीय कुष्ठरोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टू में आशुलिपिक ग्रेड-II पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, केन्द्रीय कुष्ठरोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टू, आशुलिपिक ग्रेड-II (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2020 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतन मैट्रिक्स में स्तर या वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है,; या विवाह की संविदा की है या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद है या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
आशुलिपिक ग्रेड-II	04* (2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (25500-81100 रु.)	लागू नहीं होता	18 से 27 वर्ष के बीच टिप्पण 1: केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए साधारण अभ्यर्थियों की दशा में चालीस वर्ष तथा अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों की दशा में पैंतालिस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। टिप्पण 2:- आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, केन्द्रशासित प्रदेश लद्दाख, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-

					जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)
--	--	--	--	--	--

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों कि दशा में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
मान्यताप्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या समतुल्य। कौशल परीक्षण मानक श्रुतलेख :80 शब्द प्रति मिनट @10 मिनट। प्रतिलेखन: 65 मिनट (अंग्रेजी), 75 मिनट (हिन्दी) (शारीरिक टाइपराइटर पर) या 50 मिनट (अंग्रेजी), 50 मिनट (हिन्दी) (कम्प्यूटर पर)।	लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा। कर्मचारी चयन आयोग टिप्पण:- पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेगी जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए है; और जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है।

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबन्ध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे.— 1.अपर निदेशक 2. उपनिदेशक (इपीईडी) 3.सहायक निदेशक (प्रयोगशाला) 4.प्रशासनिक अधिकारी	लागू नहीं होता

[फा.सं. ए-12018/45/2019-कुष्ठ]

बैद्यनाथ प्रसाद, अवर सचिव

New Delhi, the 24th September, 2020

G.S.R. 137.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Central Leprosy Training and Research Institute, Chingleput (Group 'C' posts) Recruitment Rules, 1980 in so far as it relates to the post of Stenographer, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Stenographer Grade II in the Central Leprosy Training and Research Institute, Chengalpattu, namely:

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Central Leprosy Training and Research Institute, Chengalpattu, Stenographer Grade II (Group 'C' Post) Recruitment Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification, level in pay matrix.—The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen or any other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in pay matrix	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Stenographer Grade -II	4*(2020) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Level- 4 in the pay matrix (Rs.25500-Rs.81100)	Not applicable	Between 18 and 27 years. Note 1: Relaxable for the Government servants upto the age of forty years in case of general candidates and upto the age of forty-five years in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time. Note 2: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing

					date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Union Territory of Ladakh, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh and Union territories of Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.
--	--	--	--	--	--

Educational qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the post to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
12 th class pass or equivalent from a recognised Board. Skill Test Norms Dictation: 10 Minutes @ 80 word per minute. Transcription: 65 minutes (English) 75 minutes (Hindi) (On Manual typewriter) or 50 minutes (English), 50 minutes. (Hindi) (On Computer).	Not applicable	2 years	Direct recruitment. Staff Selection Commission Note: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation from the officers of the Central Government holding analogous posts on regular basis and possessing the qualifications prescribed for direct recruits under Column (7).

In case of recruitment by promotion or deputation /absorption grade from which promotion or deputation/absorption to be made	If a department promotion committee exists, what is its composition?	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Not applicable	Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:- 1. Additional Director - Chairman; 2. Deputy Director(Epid) - Member; 3. Assistant Director(Laboratory) - Member; 4. Administrative officer - Member.	Not applicable.

[F. No. A-12018/45/2019-Lep]

BAIDYANATH PRASAD, Under Secy.

नई दिल्ली, 24 सितम्बर, 2020

सा.का.नि. 138.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और क्षेत्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, आस्का, (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 1980, जो भारत के राजपत्र भाग II, खण्ड 3, उपखंड (i) तारीख 14 जून, 1982 में प्रकाशित है, जहां तक इसका सम्बन्ध चपरासी पद से है, उन बातों के सिवाय अधिकांश करते हुए, जिन्हे ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है क्षेत्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान आस्का, उड़ीसा में बहु कार्य कर्मचारी वृन्द (चपरासी) पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ .— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, क्षेत्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, आस्का, उड़ीसा, बहु कार्य कर्मचारी वृन्द (चपरासी) [समूह 'ग' पद] भर्ती नियम, 2020 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतन मैट्रिक्स में स्तर या वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है,; या विवाह की संविदा की है या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद है अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बहु कार्य कर्मचारी वृन्द (चपरासी)	04* (2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित अननुसूचित	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-1 (18,000-56,900 रु.)	लागू नहीं होता	18 से 27 वर्ष के बीच। टिप्पण 1 : केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों

					के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए, सामान्य अभ्यर्थियों की दशा में 40 वर्ष तक तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की दशा में 45 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण 2:- आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित कि गई है।) टिप्पण 3: रोजगार कार्यालय के माध्यम से आने वाले अभ्यर्थियों की दशा में आयुसीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है।
--	--	--	--	--	---

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक: मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा पास हो। टिप्पण: अनुभव सम्बन्धी अर्हताएं उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने के सम्भावना नहीं है।	लागू नहीं होता	दो वर्ष	100% सीधी भर्ती द्वारा। टिप्पण:- पदधारी के प्रति नियुक्ति पर स्थानान्तरण या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा भरी जा सकेगी :- (क) मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुए है; और (ख) स्तम्भ(7)के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित योग्यता रखता हो।

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबन्ध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे.— 1. निदेशक, क्षेत्रीय कुछ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान आस्का -अध्यक्ष; 2. उपनिदेशक या सहायक निदेशक, केन्द्रीय कुछ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, आस्का - सदस्य 3. चिकित्सा अधिकारी, क्षेत्रीय कुछ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, आस्का -सदस्य।	लागू नहीं होता।

[फा. सं. ए-12018/14/2019-कुष्ठ]

वैद्यनाथ प्रसाद, अवर सचिव

New Delhi, the 24th September, 2020

G.S.R. 138 .—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Regional Leprosy Training and Research Institute, Aska, (Group 'D' posts) recruitment Rules, 1980, published in the Gazette of India, part II, Section 3, Sub-Section (i), dated the 14th June, 1982, in so far as they relate to the post of Peon, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of **Multi Tasking Staff (Peon)** in the **Regional Leprosy Training and Research Institute, Aska, Odisha**, namely:-

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, **Regional Leprosy Training and Research Institute, Aska, Odisha, Multi Tasking Staff (Peon) [Group 'C' Post]** Recruitment Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification, level in pay matrix.—The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in column (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person.

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen or any other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of Post	Number of Post	Classification	Level in pay matrix	Whether selection post or non-selection	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Multi Tasking Staff (Peon)	4*(2020) *(Subject to variation dependent on work load)	General Central Services, Group – 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Level-1 in the pay matrix (Rs.18,000-56,900)	Not applicable	Between 18 to 27 years. Note1: Relaxable for Government servants up to the age of forty years in the case of general candidates and up to the age of forty-five years in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time. Note 2: The crucial date of determining the age-limit shall be the closing date for receipt

					of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Magahalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, the Union territory of Ladakh, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh and Union territories of Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep. Note 2: In the case of recruitment made through the employment exchange, the crucial date of determining the age-limit shall be the last date up to which employment exchange asked to submit the names.
--	--	--	--	--	--

Educational qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation if any	Method of recruitment whether by direct or by promotion or by deputation and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Essential: 1.10th Class pass from a recognised Board. Note: Qualifications are relaxable at the discretion of the competent authority for reason to be recorded in writing, in case of candidates is otherwise well qualified.	Not applicable	Two years	100 per cent by direct recruitment. Note:- Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under any other circumstances for duration of one year or more may be filled on deputation basis from amongst officers of the Central Government:- (a) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; and (b) possessing the qualification prescribed for direct recruits under column number (7).

In case of recruitment any promotion or deputation /absorption grade from which promotion or deputation / absorption to be made	If a department promotion committee exists, what is its Composition?	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Not applicable	Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :- 1. Director, Regional Leprosy Training and Research Institute, Aska - Chairman; 2. Deputy Director or Assistant Director, Regional Leprosy Training and Research Institute, Aska- Member; 3. Medical Officer, Regional Leprosy Training and Research Institute, Aska - Member.	Not applicable.

[F. No. A-12018/14/2018-Lep]

BAIDYANATH PRASAD, Under Secy.

संस्कृति मंत्रालय

(भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण)

नई दिल्ली, 28 सितम्बर, 2020

सा.का.नि. 139.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संस्कृति मंत्रालय, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, कनिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (समूह 'ख' पद), भर्ती नियम, 2018 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ .— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम संस्कृति मंत्रालय, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, कनिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (समूह 'ख' पद), भर्ती (संशोधन) नियम, 2020 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. संस्कृति मंत्रालय, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, कनिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (समूह 'ख' पद), भर्ती नियम, 2018 में, अनुसूची के स्तंभ 10 में विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :-

“प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा”

[फा. सं. 3-3/2019-योजना और मानव संसाधन विकास (भर्ती नियम)]

पी.जी. कलाधरन, निदेशक (प्रशासन)

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग-II खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में सं. सा.का.नि.658(अ) द्वारा तारीख 19 जुलाई, 2018 को प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF CULTURE

(ARCHAEOLOGICAL SURVEY OF INDIA)

New Delhi, the 28th September, 2020

G.S.R. 139.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Ministry of Culture, Archaeological Survey of India, Junior Administrative Officer (Group 'B' post), Recruitment Rules, 2018, namely:-

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Ministry of Culture, Archaeological Survey of India, Junior Administrative Officer, (Group 'B' post) Recruitment (Amendment) Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Ministry of Culture, Archaeological Survey of India, Junior Administrative Officer (Group 'B' post) Recruitment Rules, 2018, in the Schedule, in column 10, for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely:-

“Promotion failing which by deputation”.

[F.No.3-3/2019-Plg & HRD (RR)]

P.G. KALADHARAN, Director (Administration)

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number GSR 658(E) dated the 19th July, 2018.

नई दिल्ली, 28 सितम्बर, 2020

सा.का.नि. 140.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तु द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, सहायक अधीक्षण पुरालेखविद् और सहायक पुरालेखविद्, (संस्कृत, द्रविड़, अरबी और फारसी अभिलेख) समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2006 को, उन बातों के सिवाय अधिकांश करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है, या करने का लोप किया गया है, संस्कृति मंत्रालय, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में सहायक अधीक्षण पुरालेखविद् और सहायक पुरालेखविद्, (संस्कृति, द्रविड़, अरबी और फारसी अभिलेख) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ .— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम संस्कृति मंत्रालय, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, सहायक अधीक्षण पुरालेखविद् और सहायक पुरालेखविद् (संस्कृति, द्रविड़, अरबी और फारसी अभिलेख) समूह 'ख' पद, भर्ती नियम, 2020 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना.—इन नियमों के उपबंध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उनका स्तर.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उसके वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे, जो इन नियमों के उपबंध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अहर्ताएं आदि.—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अहर्ताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. निरर्हता.— वह व्यक्ति

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. शिथिल करने की शक्ति.— जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति.— इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	क्या चयन अथवा अचयन पद है	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. सहायक अधीक्षण पुरालेखविद् (संस्कृत अभिलेख)	2* (2020) (कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ख' राजपत्रित अननुसूचित	स्तर - 7 (रु. 44,900-1,42,400)	चयन पद	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति:- भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा।
(10)	(11)
प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)	प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स में स्तर 6 (रु. 35400-112400) के ऐसे सहायक अधीक्षण पुरालेखविद् (संस्कृत अभिलेख) जिसने उस श्रेणी में से तीन वर्ष की नियमित सेवा की है और दो से चार सप्ताह का पुरालेखशास्त्र (संस्कृत) में प्रशिक्षण पूरा किया हो। टिप्पण: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, जहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) : केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्रों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या अर्द्ध सरकारी या कानूनी या स्वायत्त संगठन के ऐसे अधिकारी: (क)(i) जो मूल काडर अथवा विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स (रु.35400-112400) में स्तर-6 या समतुल्य में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में तीन वर्ष की सेवा की हो; और (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं तथा अनुभव हैं :- (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से संस्कृत या पाली या प्राकृत में स्नातकोत्तर

	डिग्री जिसमें डिग्री स्तर पर प्राचीन भारतीय इतिहास एक विषय के रूप में रहा हो; या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से इतिहास में स्नातकोत्तर डिग्री जिसमें प्राचीन भारतीय इतिहास एक विषय के रूप में रहा हो और स्नातक की डिग्री स्तर पर संस्कृत या पालि या प्राकृत एक विषय के रूप में रहा हो - ; और (ii) संबद्ध विद्याओं में प्राचीन या मध्यकालीन अभिलेखों की प्रतिलिपि बनाने या गूढलिपि का अर्थ निकालने और संपादन में पांच वर्ष का अनुभव। टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि, जिसके अन्तर्गत केंद्रीय सरकार के उसी अथवा किसी अन्य संगठन अथवा विभाग में इस नियुक्ति के ठीक पहले धारित किसी अन्य कॉडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख से 56 (छप्पन) वर्ष से अधिक नहीं होगी।
--	---

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति की संरचना इस प्रकार होगी:- (1) अपर महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण - अध्यक्ष (2) संयुक्त महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण - सदस्य (3) निदेशक (प्रशासन), भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण - सदस्य (4) निदेशक (पुरालेख शास्त्र), भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण - सदस्य	किसी अधिकारी को प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) पर नियुक्त करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. सहायक अधीक्षण पुरालेखविद् (द्रविड़ अभिलेख)	2* (2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ख' राजपत्रित अननुसचिवीय	स्तर - 7 (रु. 44,900-1,42,400)	चयन पद	लागू नहीं होता

(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(10)	(11)
प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)	प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स (रु. 35400-112400) के स्तर 6 में ऐसे सहायक अधीक्षण पुरालेखविद् (द्रविड़ अभिलेख) जिसने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की है और दो से चार सप्ताह का पुरालेखशास्त्र (द्रविड़) में प्रशिक्षण पूरा किया हो।

	टिप्पण: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, जहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) : केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्रों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या अर्द्ध सरकारी या कानूनी या स्वायत्त संगठन के ऐसे अधिकारी: (क)(i) जो मूल काडर अथवा विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण करते हों; अथवा (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (रु.35400-112400) या समतुल्य में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में तीन वर्ष की सेवा की हो; और (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं तथा अनुभव हैं :- (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से तमिल या मलयालम या तेलुगु या कन्नड़ में स्नातकोत्तर डिग्री जिसमें स्नातक की डिग्री स्तर पर प्राचीन भारतीय इतिहास एक विषय के रूप में रहा हो; या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से इतिहास में स्नातकोत्तर डिग्री जिसमें प्राचीन भारतीय इतिहास एक विषय के रूप में रहा हो और डिग्री स्तर पर तमिल या मलयालम या तेलुगु या कन्नड़ एक विषय के रूप में रहा हो। (ii) संबद्ध विद्याओं में प्राचीन या मध्यकालीन अभिलेखों की प्रतिलिपि बनाने या गूढलिपि का अर्थ निकालने और संपादन में पांच वर्ष का अनुभव। टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग में ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी अथवा किसी अन्य संगठन अथवा विभाग में इस नियुक्ति के ठीक पहले धारित किसी अन्य काँडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख से 56 (छप्पन) वर्ष से अधिक नहीं होगी।
--	--

(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति की संरचना इस प्रकार होगी:- (1) अपर महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण - अध्यक्ष (2) संयुक्त महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण - सदस्य (3) निदेशक (प्रशासन), भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण - सदस्य (4) निदेशक (पुरालेखशास्त्र), भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण - सदस्य	किसी अधिकारी को प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) पर नियुक्त करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. सहायक अधीक्षण पुरालेखविद् (अरबी और फारसी अभिलेख)	1* (2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ख' राजपत्रित अननुसचिवीय	स्तर - 7 (रु. 44,900-1,42,400)	चयन पद	लागू नहीं होता

(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(10)	(11)
प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा	प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स (रु. 35,400-1,12,400) के स्तर 6 में ऐसे सहायक पुरालेखविद् (अरबी और फारसी अभिलेख) जिसने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की है और दो से चार सप्ताह का पुरालेखशास्त्र (अरबी और फारसी) में प्रशिक्षण पूरा किया हो। टिप्पण: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, जहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा के अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) : केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों में या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों या अर्ध सरकारी या कानूनी या स्वायत्त संगठन के ऐसे अधिकारी: (क)(i) जो मूल काडर अथवा विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण करते हों; अथवा (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (35400-112400 रु.) या समतुल्य में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में तीन वर्ष की सेवा की हो; और (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं तथा अनुभव हैं : (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से फारसी या अरबी में स्नातकोत्तर डिग्री जिसमें स्नातक डिग्री स्तर पर प्राचीन भारतीय इतिहास एक विषय के रूप में रहा हो; या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से इतिहास में स्नातकोत्तर डिग्री जिसमें मध्यकालीन भारतीय इतिहास एक विषय के रूप में रहा हो और स्नातक डिग्री स्तर पर फारसी या अरबी एक विषय के रूप में रहा हो; और (ii) संबद्ध विद्याओं में प्राचीन या मध्यकालीन अभिलेखों की प्रतिलिपि बनाने या गूढ़लिपि का अर्थ निकालने और संपादन में पांच वर्ष का अनुभव। टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में

	हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी अथवा किसी अन्य संगठन अथवा विभाग में इस नियुक्ति के ठीक पहले धारित किसी अन्य कॉडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख से 56 (छप्पन) वर्ष से अधिक नहीं होगी।
--	--

(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति की संरचना इस प्रकार होगी:- (1) अपर महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण - अध्यक्ष (2) संयुक्त महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण - सदस्य (3) निदेशक (प्रशासन), भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण - सदस्य (4) निदेशक (पुरालेखशास्त्र), भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण - सदस्य	किसी अधिकारी को प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) पर नियुक्त करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. सहायक पुरालेखविद् (संस्कृत अभिलेख)	5* (2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ख' अराजपत्रित अननुसचिवीय	स्तर - 6 (रु. 35,400-1,12,400)	लागू नहीं होता।	30 वर्ष तक टिप्पण 1: केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। टिप्पण 2: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खण्ड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबर द्वीप या लक्षद्वीप) के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

(7)	(8)	(9)
आवश्यक: (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से संस्कृत या पाली या प्राकृत में स्नातकोत्तर डिग्री जिसमें डिग्री स्तर पर प्राचीन भारतीय इतिहास एक विषय के रूप में रहा हो; या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से इतिहास में स्नातकोत्तर डिग्री जिसमें प्राचीन भारतीय इतिहास एक विषय के रूप में रहा हो और डिग्री स्तर पर संस्कृत या पालि या प्राकृत एक विषय के रूप में रहा हो; टिप्पण: अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग की विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। वांछनीय: पुरातत्व संस्थान, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से पुरातत्व या पुरालेखशास्त्र में स्नातकोत्तर डिप्लोमा या समतुल्य।	लागू नहीं होता	दो वर्ष

(10)	(11)
सीधी भर्ती। टिप्पण: पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण या लम्बी बिमारी या अध्ययन छुट्टी या किसी अन्य परिस्थिति में एक वर्ष या अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां, केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा भरी जा सकेंगी, जो; (क)(i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण करते हों; अथवा (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स (रु.29200-92300) में स्तर-5 या समतुल्य में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में छः वर्ष की सेवा की हो; और (ख) जो स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित की गयी शैक्षिक अर्हताएं रखता हो।	लागू नहीं होता

(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति की संरचना इस प्रकार होगी: (1) अपर महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण - अध्यक्ष (2) संयुक्त महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण - सदस्य (3) निदेशक (प्रशासन), भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण - सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5. सहायक पुरालेखविद् (द्रविड अभिलेख)	7* (2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ख' अराजपत्रित अननुसचिवीय	स्तर - 6 (रु. 35,400-1,12,400)	लागू नहीं होता	30 वर्ष तक टिप्पण 1: केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। टिप्पण 2: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश,

					मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख खण्ड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)
--	--	--	--	--	--

(7)	(8)	(9)
आवश्यक: (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से तमिल या मलयालम या तेलुगु या कन्नड़ में स्नातकोत्तर डिग्री जिसमें स्नातक डिग्री स्तर पर प्राचीन भारतीय इतिहास एक विषय के रूप में रहा हो या; किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से इतिहास में स्नातकोत्तर डिग्री जिसमें प्राचीन भारतीय इतिहास एक विषय के रूप में रहा हो और डिग्री स्तर पर तमिल या मलयालम या तेलुगु या कन्नड़ एक विषय के रूप में रहा हो। टिप्पण: अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग की विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। वांछनीय: पुरातत्व संस्थान, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से पुरातत्व या पुरालेखशास्त्र में स्नातकोत्तर डिप्लोमा या समतुल्य।	लागू नहीं होता	दो वर्ष

(10)	(11)
सीधी भर्ती। टिप्पण: पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण या लम्बी बिमारी या अध्ययन छुट्टी या किसी अन्य परिस्थिति में एक वर्ष या अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां, केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा भरी जा सकेंगी: (क)(i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण करते हों; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स (रु.29200-92300) में स्तर-5 में या समतुल्य नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में छः वर्ष की सेवा की हो; और (ख) जो स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित की गयी शैक्षिक अर्हताएं रखता हो।	लागू नहीं होता।

(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे: (1) अपर महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण - अध्यक्ष (2) संयुक्त महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण - सदस्य (3) निदेशक (प्रशासन), भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण - सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6. सहायक पुरालेखविद् (अरबी और फारसी अभिलेख)	4*(2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ख' अराजपत्रित अननुसचिवीय	स्तर - 6 (रू. 35,400-1,12,400)	लागू नहीं होता	30 वर्ष तक टिप्पण 1: केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। टिप्पण 2: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप) के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

(7)	(8)	(9)
आवश्यक: किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से फारसी या अरबी में स्नातकोत्तर डिग्री जिसमें स्नातक डिग्री स्तर पर मध्यकालीन भारतीय इतिहास एक विषय के रूप में रहा हो; या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से इतिहास में स्नातकोत्तर डिग्री जिसमें प्राचीन भारतीय इतिहास एक विषय के रूप में रहा हो और स्नातक डिग्री स्तर पर फारसी या अरबी एक विषय के रूप में रहा हो; टिप्पण: अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। वांछनीय: पुरातत्व संस्थान, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से पुरातत्व या पुरालेखशास्त्र में स्नातकोत्तर डिप्लोमा या समतुल्य।	लागू नहीं होता	दो वर्ष

(10)	(11)
सीधी भर्ती। टिप्पण: पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण या लम्बी बिमारी या अध्ययन छुट्टी या किसी अन्य परिस्थिति में एक वर्ष या अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां, केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा भरी जा सकेंगी: (क)(i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण करते हों; अथवा	लागू नहीं होता

(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स (रु.29200-92300) में स्तर-5 या समतुल्य में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में छः वर्ष की सेवा की हो; और (ख) जो स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती के विहित किए गए अनुभव और शैक्षिक अर्हताएं रखता हो।	
--	--

(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति की संरचना इस प्रकार होगी: (1) अपर महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण - अध्यक्ष (2) संयुक्त महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण - सदस्य (3) निदेशक (प्रशासन), भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण - सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. 3-2/2020 योजना और एचआरडी (आर.आर.)]

पी.जी. कलाधरन, निदेशक (प्रशासन)

New Delhi, the 28th September, 2020

G.S.R. 140.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Archaeological Survey of India, Assistant Superintending Epigraphists and Assistant Epigraphists (Sanskrit, Dravidian, and Arabic and Persian Inscriptions) Group 'B' Posts, Recruitment Rules, 2006, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Assistant Superintending Epigraphists and Assistant Epigraphists (Sanskrit, Dravidian and Arabic and Persian Inscriptions) in Archaeological Survey of India, Ministry of Culture, namely:-

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Ministry of Culture, Archaeological Survey of India, Assistant Superintending Epigraphists and Assistant Epigraphists (Sanskrit, Dravidian and Arabic and Persian Inscriptions) Group 'B' posts, Recruitment Rules, 2020.

(2). They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application.—These rules shall apply to the posts specified in column 1 of the Schedule annexed to these rules.

3. Number of posts, classification and level in the pay matrix.— The number of said post, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.—The method of recruitment, age- limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the afore said Schedule.

5. Disqualification.— No person,---

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Assistant Superintending Epigraphist (Sanskrit Inscriptions)	2* (2020) (Subject to variation dependent on workload)	General Central Service, Group 'B', Gazetted, Non-Ministerial	Level-7 (Rs.44900-142400)	Selection post	Not Applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any	Method of recruitment: whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Promotion failing which by deputation (including short-term contract).

In case of recruitment by promotion or Deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made

(11)

Promotion:

Assistant Epigraphist (Sanskrit Inscriptions) in level-6 (Rs.35400-112400) in the pay matrix with three years' regular service in the grade.

Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Deputation (including short term contract) :

Officers under the Central Government or State Governments or Union territories or Public Sector Undertakings or Universities/Recognised Research Institutions or Semi-Government or Statutory or Autonomous Organizations;

(a)(i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or

(ii) with three years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level-6 (Rs.35400-112400) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and

(b) possessing the following educational qualification and experience:

(i) Masters degree in Sanskrit or Pali or Prakrit with Ancient Indian History as a subject at bachelor's degree level from a recognised university; or

Masters degree in History with Ancient Indian History as a subject and Sanskrit or Pali or Prakrit as one of the subjects at bachelor's degree level from a recognised university; and

(ii) five years' experience in copying, deciphering and editing of Ancient or Medieval Inscriptions in the concerned discipline.

Note 1: The Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2: The period of deputation (including short term contract) including period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisations or department of the Central Government shall not ordinarily exceed three years.

Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation (including short term contract) shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Group 'B' Departmental Promotion Committee consisting of: (1) Additional Director General, Archaeological Survey of India - Chairman; (2) Joint Director General Archaeological Survey of India - Member; (3) Director (Administration), Archaeological Survey of India - Member; (4) Director (Epigraphy), Archaeological Survey of India - Member	Consultation with Union Public Service Commission is necessary while appointing an officer on deputation (including short term contract).

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. Assistant Superintending Epigraphist (Dravidian Inscriptions)	2* (2020) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'B', Gazetted, Non-Ministerial	Level-7 (Rs.44900-142400)	Selection post	Not Applicable	Not Applicable

(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Promotion failing which by deputation (including short-term contract).

(11)
Promotion: Assistant Epigraphist (Dravidian Inscriptions) in level-6 (Rs.35400-112400) in the pay matrix with three years' regular service in the grade. Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Deputation (including short term contract) : Officers under the Central Government or State Governments or Union territories or Public Sector Undertakings or Universities/Recognized Research Institutions or Semi-Government or Statutory or Autonomous Organisations; (a)(i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with three years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level-6 (Rs.35400-112400) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the following educational qualification and experience: (i) Masters degree in Tamil or Malayalam or Telugu or Kannada with Ancient Indian History as a subject at bachelor's degree level from a recognised university; or Masters degree in History with Ancient Indian History as a subject and Tamil or Malayalam or Telugu or Kannada as one of the subjects at bachelor's degree level from a recognised university. (ii) five years' experience in copying, deciphering and editing of Ancient or Medieval Inscriptions in the concerned discipline. Note 1: The Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Note 2: The period of deputation (including short term contract) including period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisations or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation (including short term contract) shall be not exceeding 56 years' as on the closing date of receipt of applications.

(12)	(13)
Group 'B' Departmental Promotion Committee consisting of:- (1) Additional Director General, Archaeological Survey of India - Chairman;	Consultation with Union Public Service Commission is necessary while appointing an officer on deputation (including short

(2) Joint Director General Archaeological Survey of India	- Member;	term contract)
(3) Director (Administration), Archaeological Survey of India	- Member;	
(4) Director (Epigraphy), Archaeological Survey of India	- Member.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. Assistant Superintending Epigraphist (Arabic and Persian Inscriptions)	1* (2020) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'B', Gazetted, Non- Ministerial	Level-7 (Rs.44900- 142400)	Selection post	Not Applicable

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Promotion failing which by deputation (including short-term contract).

(11)
Promotion: Assistant Epigraphist (Arabic and Persian Inscriptions) in level-6 (Rs.35400-112400) in the pay matrix with three years' regular service in the grade. Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Deputation (including short term contract) : Officers under the Central Government or State Governments or Union territories or Public Sector Undertakings or Universities/Recognized Research Institutions or Semi-Government or Statutory or Autonomous Organisations; (a)(i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with three years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level-6 (Rs.35400-112400) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the following educational qualification and experience: (i) Masters degree in Persian or Arabic with Ancient Indian History as a subject at bachelor's degree level from a recognised university; or Masters degree in History with Medieval Indian History as a subject and Persian or Arabic as one of the subjects at bachelor's degree level from a recognised university; and (ii) five years' experience in copying, deciphering and editing of Ancient or Medieval Inscriptions in the concerned discipline. Note 1: The Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Note 2: The period of deputation (including short term contract) including period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisations or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation (including short term contract) shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications.

12	13
Group 'B' Departmental Promotion Committee consisting of :- (1) Additional Director General, Archaeological Survey of India - Chairman; (2) Joint Director General Archaeological Survey of India - Member; (3) Director (Administration), Archaeological Survey of India - Member; (4) Director (Epigraphy), Archaeological Survey of India - Member;	Consultation with Union Public Service Commission is necessary while appointing an officer on deputation (including short term contract).

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. Assistant Epigraphist (Sanskrit Inscriptions)	5* (2020) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-6 (Rs.35400-112400)	Not Applicable	Upto 30 years. Note 1: Relaxable for Government Servants up to five years in accordance with the instructions or order issued by the Central Government Note 2: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh, Lahaul and Spiti District and Pangi sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).

(7)	(8)	(9)
Essential: Masters degree in Sanskrit or Pali or Prakrit with Ancient Indian History as a subject at bachelor's degree level from a recognised university or; Masters degree in History with Ancient Indian History as a subject and Sanskrit or Pali or Prakrit as one of the subjects at bachelor's degree level from a recognised university. Note: Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission in case of candidates otherwise well qualified. Desirable: Post Graduate Diploma in Archaeology or Epigraphy from the Institute of Archaeology, Archaeological Survey of India or from a recognised university or equivalent.	Not applicable	Two years

(10)	(11)
Direct Recruitment Note: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of the Central Government; (a)(i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with six years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in posts in Level-5 (Rs.29200-92300) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the educational qualification prescribed for direct recruits under column (7).	Not applicable.

(12)	(13)
Group 'B' Departmental Promotion Committee consisting of:- (1) Additional Director General, Archaeological Survey of India - Chairman; (2) Joint Director General Archaeological Survey of India - Member; (3) Director (Administration), Archaeological Survey of India - Member.	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5. Assistant Epigraphist (Dravidian Inscriptions)	7* (2020) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Level-6 (Rs.35400-112400)	Not Applicable	Upto 30 years. Note 1: Relaxable for Government Servants up to five years in accordance with the instructions or order issued by the Central Government. Note 2: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh, Lahaul and Spiti District and Pangi sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).

(7)	(8)	(9)
Essential: Masters degree in Tamil or Malayalam or Telugu or Kannada with Ancient Indian History as a subject at bachelor's degree level from a recognised university; or Masters degree in History with Ancient Indian History as a subject and Tamil or Malayalam or Telugu or Kannada as one of the subjects at bachelor's degree level from a recognised university. Note: Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission in case of candidates otherwise well qualified. Desirable: Post Graduate Diploma in Archaeology or Epigraphy from the Institute of Archaeology, Archaeological Survey of India or from a recognised university or equivalent.	Not applicable	Two years

(10)	(11)
Direct Recruitment: Note: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of the Central Government. (a)(i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with six years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in posts in level-5(Rs.29200-92300) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the educational qualification prescribed for direct recruits under column(7).	Not applicable

(12)	(13)
Group 'B' Departmental Promotion Committee consisting of:- (1) Additional Director General, Archaeological Survey of India - Chairman; (2) Joint Director General Archaeological Survey of India - Member; (3) Director (Administration), Archaeological Survey of India - Member;	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6. Assistant Epigraphist (Arabic and Persian Inscriptions)	4* (2020) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-	Level-6 (Rs.35400-112400)	Not Applicable	Upto 30 years. Note 1: Relaxable for Government Servants up to five years in accordance with the instructions or order issued by the Central Government. Note 2: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for

		Ministerial			receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh, Lahaul and Spiti District and Pangi sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).
--	--	-------------	--	--	--

(7)	(8)	(9)
Essential: Masters degree in Persian or Arabic with Medieval Indian History as a subject at bachelor's degree level from a recognised university; or Masters degree in History with Ancient Indian History as a subject and Arabic or Persian as one of the subjects at Bachelor's degree level from a recognised university. Note: Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission in case of candidates otherwise well qualified. Desirable: Post Graduate Diploma in Archaeology or Epigraphy from the Institute of Archaeology, Archaeological Survey of India or from a recognised university or equivalent.	Not applicable	Two years

(10)	(11)
Direct Recruitment Note: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of the Central Government. (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with six years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in posts in Level-5 (Rs.29200-92300) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the educational qualification prescribed for direct recruits under column (7).	Not applicable

(12)	(13)
Group 'B' Departmental Promotion Committee consisting of :- (1) Additional Director General, Archaeological Survey of India - Chairman; (2) Joint Director General Archaeological Survey of India - Member; (3) Director (Administration), Archaeological Survey of India - Member.	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

[F. No.3-2/2020-Plg & HRD (RR)]

P.G. KALADHARAN, Director (Administration)